

प्रेषक,

संतोष कुमार वर्मा
अपर सिविल जज (जू. डि.) FTC II,
(क्राइम अगेन्स्ट वुमेन)
जनपद न्यायालय, मऊ।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश
मऊ।

विषय:- शासनादेश संख्या- 1363-2-4-2009-45(12)/91 टी. सी. नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ,
दिनांकित 13 मई 2009 और शासनादेश संख्या - 1705- दो-4-2011/45(120/91) टी. सी.
नियुक्त अनुभाग लखनऊ, दिनांक 03.01.2012 के अनुसार स्नात्कोत्तर उपाधि धारक
न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय महोदय से ससम्मान निवेदन है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा (2018) के परिणाम घोषित होने के दिनांक 20.07.2019 के पूर्व ही विधि की स्नात्कोत्तर उपाधि धारक (L.L.M.) परीक्षा उत्तीर्ण हो गया था।

उ.प्र. शासनादेश संख्या -1363-2-472009-45(12)/91 टी.सी. नियुक्ति अनुभाग- 4 लखनऊ दिनांकित अनुभाग 13 मई 2009 और शासनादेश संख्या- 1705-2-4-2011/45(120/91) टी.सी. नियुक्ति अनुभाग लखनऊ, दिनांकित 03.01.2012 के अनुसार उ.प्र. न्यायिक सेवा में चयन होने के पूर्व विधि की स्नात्कोत्तर उपाधि (एल.एल.एम.) धारित करने वाले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को 03 अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय से मुझे भी उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति दिनांक 16.12.2019 से 03 अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ स्वीकृत कराने की कृपा करें।

माननीय महोदय की अति कृपा होगी।

सादर।

दिनांक:-

Office of the District Judge-III
Letter No. 104/Adm. Date, dt-08-01-2020
Forwarded for information and
necessary action.
District Judge
III
08-01-2020

S. Kumar

(संतोष कुमार वर्मा)

अपर सिविल जज (जू. डि.) FTC II,
(क्राइम अगेन्स्ट वुमेन)
जनपद न्यायालय, मऊ।

संलग्नक- एल.एल.एम. मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।